न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 46/2022 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2022/48)

1. भगवानसिंह सैनी पुत्र भगवत जाति सैनी
2. लक्ष्मन प्रसाद पुत्र रामप्रसाद सैनी जाति सैनी

} निवासी ग्राम चैंटोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.............अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
2. पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र चैंटोली जरिये प्रभारी अधिकारी पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र चैंटोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत चैंटोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 10.12.2021 वसिलसिले आवंटन आदेश कमांक 325 दिनांक 10.12.2021

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट।
2. श्री दिनेश शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट– 3

निर्णय

दिनांकः– 26.12.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उपखण्डाधिकारी भुसावर के द्वारा ग्राम चैंटोली तहसील भुसावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 695 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय (सिवायचक) भूमि को पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु आवंटित किये जाने बाबत प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.6 (25) राज–6/2014/32 दिनांक 1.4.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत वर्णित शर्तों एवं अनुबंधों पर उक्त प्रस्तावित ग्राम चैंटोली तहसील भुसावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 695 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय (सिवायचक) भूमि को पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु पशुपालन विभाग भरतपुर को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 से निःशुल्क आवंटित किया गया। अपीलान्ट ने इस आदेश के खिलाफ अदालत हाजा में अपील पेश करते हुये यह उजदारी कि है कि आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 से प्रभावित है क्योंकि आराजी पर मौके पर कब्जा अपीलान्ट का है इसी कारण अपीलान्ट के इस आराजी

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

पर हित निहित है फिर भी अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील पेश होने पर अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2021 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 695/0.05 है0 वाकै ग्राम चैटोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसकी किस्म वारानी द्वितीय है, के संबध में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 10.12.2021 को आवंटन कर दिया है जो खिलाफ कानून है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा आवंटन संबधित किसी भी नियम व शर्त की पालना नहीं की गई। आराजी खसरा नम्बर 695/0.05 की किस्म वारानी द्वितीय है जो कि काबिल काश्त व कृषि योग्य है और कृषि योग्य भूमि का आवंटन कृषि उपयोग के लिये ही किया जाना होता है परन्तु अदालत तहत ने आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आवंटन जारी करने में भारी भूल की है। आवंटनशुदा भूमि का आवंटन पशु स्वास्थ्य हेतु किया गया है जबकि आराजी कृषि योग्य भूमि है और इसका आवंटन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नहीं किया जा सकता है परन्तु अदालत तहत ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही आवंटन करने में भारी भूल की है। आवंटन करने में अदालत तहत द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.6 (25) राज–6/2014/32 दिनांक 1.4.2021 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अपीलाधीन आवंटन किया जाना अंकित किया है, परन्तु इस अधिसूचना में किस्म वारानी भूमि का आवंटन किये जाने के संबध में कोई आदेश नहीं है और न ही ऐसी भूमि को आवंटन करने हेतु अधिसूचना में अधिकृत किया गया है इसलिऐ उक्त अधिसूचना की आड में खसरा नम्बर 695 का आवंटन अवैध रूप से कर दिया है इसलिऐ आवंटन काबिल खारिजी के है। आवंटन से पूर्व यह भी देखना होता है कि आराजी काबिल काश्त तो नहीं है और किसी के कब्जे में तो नही है। खसरा नम्बर 695 पर अपीलान्ट का कब्जा है। अपीलान्ट का कब्जा काश्त उनके पूर्वजों के समय से ही है। अपीलान्ट्स व उनके पूर्वजों ने आराजी को बडी मेहनत से काबिल काश्त बनाया है और रकबा आवंटन के लिये खाली नहीं है, परन्तु फिर भी उक्त आराजी का आवंटन करने में भारी भूल की है और अपीलान्ट का कब्जा होने के कारण आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। आवंटन आदेश में आराजी खसरा नम्बर 695 पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है परन्तु आवंटन से पूर्व कब्जा व मौके की जांच नहीं की गई और अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया और विना सुनवाई बिना जांच किये अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये ही अपीलान्ट की अनुपरिथति में एकतरफा में यह अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है इसलिऐ यह आदेश निरस्त योग्य

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। आराजी खसरा नम्बर 695 साविक खसरा नम्बर 507 रकबा 6 विस्वा से बन्दोवस्त विभाग ने बनाया है सम्वत 2013 में खसरा नम्बर 507 पर जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में शामलात थोक माली हस्व पैमाना मिलकियती के इन्द्राज दर्ज है जिसका तात्पर्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय उक्त आराजी माली थोक की मिलकियती की आराजी रही है। जिस पर पुराने समय से ही माली समाज का कब्जा रहा है और माली समाज का प्राचीन कूआ उक्त आराजी में बना हुआ है जो वर्तमान में नष्ट हो चुका है और इस आराजी में माली समाज के पूर्वजों के थान इत्यादि स्थापित है। चूंकि आराजी बहुत छोटी है तथा माली समाज के गांव चैटोली में लगभग 60 घर हैं, इसलिऐ उक्त आराजी का विभाजन हो पाना संभव नहीं रहा है इसलिऐ पूरा माली समाज उक्त आराजी को शामिल में उपयोग करता रहा है और इसलिऐ इस पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। आराजी सिवायचक नहीं है। सम्वत 2013 में आराजी में सम्मलित होने के कारण मकबूजा मालिकान दर्ज कर दिया गया परन्तु आवंटन की अनुशंषा हल्का पटवारी द्वारा गलत प्रकार से की गई है आराजी माली समाज की मिलकियती की है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। आवंटन आदेश की आड लेकर दिनांक 5.4.2022 को रैस्पोडेन्ट के कर्मचारी खसरा नम्बर 695 ग्राम चैटोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर पर आये और जबरन आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी तथा अपीलान्टस को बेदखल करने की धमकी दी है और निर्माण करने की धमकी दी तब अपीलान्ट को उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 की जानकारी हुई। इस पर तुरन्त ही अपीलान्ट ने नकल निकलवायी और जानकारी होते ही बिना देरी के यह अपील अपीलान्टस द्वारा पेश की गई है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में कोरोना महामारी भी चल रही थी इसलिऐ मियाद का कोई बिन्दु भी नहीं है, परन्तु फिर भी डिले कन्डोन हेतु पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 को निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। प्रथम तो अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय के विरुद्ध अपील मियाद बाहर पेश की गई है और अपील मियाद बाहर पेश करने के संवध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है। ऐसी स्थिति में केवल कानून की जानकारी के अभाव में अपील मियाद बाहर पेश करने का तर्क उचित नहीं है। मियाद के संबध में प्रत्येक दिन का ठोस साक्ष्य/सबूत के साथ प्रमाण दिया जाना आवश्यक है, जो कि अपीलान्ट के द्वारा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ही खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक अपीलाधीन आवंटन आदेश का प्रश्न है तो उक्त आवंटन आदेश जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त आवंटन प्रस्ताव एवं अभिशंषा के आधार पर जारी किया गया है। उक्त प्रकरण में उपखण्डाधिकारी भुसावर के द्वारा ग्राम चैंटोली तहसील भुसावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 695 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय (सिवायचक) भूमि को पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु आवंटित किये जाने बाबत प्रस्तावित किया गया। जिस पर तहसीलदार भुसावर की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2021 प्राप्त की गई। मौका पर्चा दिनाक 28.9.2021 भी रिकार्ड पर लिया गया है। ग्राम पंचायत चैंटोली का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 30.6.2021 भी प्राप्त हुआ है ऐसी स्थिति में बाद परीक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.6 (25) राज–6/2014/32 दिनांक 1.4.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत वर्णित शर्तो एवं अनुबंधों पर उक्त प्रस्तावित ग्राम चैंटोली तहसील भुसावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 695 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय (सिवायचक) भूमि को पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु पशुपालन विभाग भरतपुर को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 से निःशुल्क आवंटित किया गया। अपीलाधीन आदेश मौका एवं रिकार्ड तथा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर ही पारित किया गया है। अपील बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है इसलिऐ अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे तथा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतुपर द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 10.12.2021 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 11.04.2022 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में मियाद संबंधी बिन्दु को अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन आवंटन आदेश की आड़ में दिनांक 05.04.2022 को अप्रार्थी रैस्पोडेन्ट के कर्मचारियों की ओर से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने पर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 की जानकारी होने पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का न तो कोई जवाब पेश किया

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर
26.12.2023

गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा अपील को तकनीकी बिन्दु पर खारिज किये जाने से बचना चाहिए। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन आवंटन आदेश के गुणावगुण का प्रश्न है तो जिला कलक्टर की ओर से उक्त आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी भुसावर की ओर से प्राप्त हुए आवंटन प्रस्ताव दिनांक 11.11.2021 के आधार पर पारित किये गये हैं। जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी भुसावर के मांग पत्र पर तहसीलदार भुसावर से पशु स्वास्थ्य केन्द्र चैंटोली के लिए आराजी खसरा नंबर 695 रकबा 0.05 है0 भूमि आवंटित किये जाने के प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। पत्र के साथ तहसीलदार भुसावर के पत्र दिनांक 21.10.2021 से भिजवाए गए आवंटन प्रस्ताव, भूमि आवंटन बाबत चैकलिस्ट, मौका पर्चा, ग्राम पंचायत चैंटोली की ओर से प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, प्रभारी पशु चिकित्सालय भुसावर का मांग पत्र आदि की प्रति प्रस्तुत की है। विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत चैंटोली, भू अभिलेख निरीक्षक व ग्रामवासियान की उपस्थिति में दिनांक 28.09.2021 को मौका पर्चा तैयार किया गया है। जिसमें खसरा नंबर 695 रकबा 0.05 है0 के संबंध में रिपोर्ट की गई है कि राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नंबर सिवायचक दर्ज है। इस खसरा नंबर के दक्षिण की ओर आम रास्ता (महतौली–चैंटोली), पूर्व में खसरा नंबर 501 रकबा 0.15 है0 ग्राम महतौली, उत्तर में खसरा नंबर 690 रकबा 0.02 है0, पश्चिम में खसरा नंबर 694 रकबा 0.05 है0 स्थित है। मौके पर खसरा नंबर 695 पड़त पडा हुआ है। इस मौका पर्चा पर पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक, सरपंच ग्राम पंचायत चैंटोली व अन्य ग्रामवासियान के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट की ओर से मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित भूमि की किस्म कृषि भूमि होने व उक्त भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा होने व मौके पर खाली नहीं होने के कारण आवंटित नहीं किया जा सकता, जो कि अपीलाधीन आवंटन संबंधी पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के विरोधाभासी है, क्योंकि पटवारी हल्का की ओर से तैयार की गई मौका रिपोर्ट में विवादित भूमि की किस्म सिवायचक बंजड होने व मौके पर पड़त होना बताया गया है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट की ओर से अपील के दौरान जो

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

विभिन्न दस्तावेज यथा रिपोर्ट गिरदावर पटवारी हल्का ग्राम चैंटोली दिनांक 04.04.2022 खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 नकल जमाबन्दी सम्वत 2017, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जगाबन्दी, जिला परिषद की ओर से जारी प्रशासनिक तकनीकी व वित्तिय स्वीकृति पेश की गई है। इनके अनुसार भी साविक खसरा नंबर 507 रकबा 0.06 मौके पर पड़त है। अतः वकील अपीलान्ट का यह कथन की विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकती है, सारहीन हो जाता है। इसी प्रकार जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 01.04.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालायों एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत वर्णित शर्तो एवं अनुबन्धों पर ग्राम चैंटोली के खसरा नंबर 695 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय सिवायचक भूमि को पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु पशुपालन विभाग भरतपुर को निःशुल्क आवंटित की है, जो कि नियमानुसार है। वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि दिनांक 01.04.2021 की अधिसूचना में कृषि योग्य भूमि को आवंटित किये जा सकने का उल्लेख नहीं है तो उक्त तर्क भी इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि आवंटन नियम 1963 के शीर्षक में ही यह उल्लेख है कि बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु किया जा सकता है। चूंकि पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु आवंटित भूमि की किस्म बारानी द्वितीय सिवायचक है। जिसे आवंटन नियम 1963 के तहत आवंटित किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 10.12.2021 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर